न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 19 / 2019 जिला सीकर

प्रभाती देवी पुत्री स्व. पेमाराम पत्नी स्व. श्री कजोड, उम्र 70 वर्ष, जाति बलाई (मेघवंशी) निवासी ग्रम दूजोद , तहसील धोद, जिला सीकर, हाल निवासी ग्रम भढाडर, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र नामालूम गेलड पुत्र नाथी देवी पत्नी श्री पेमाराम, जाति बलाई, निवासी रतनगढ, जिला चूरू, हाल निवासी दूजोद, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)
2. तहसीलदार , तहसील धोद मुख्यालय सीकर (राजस्थान)
3. उप पंजीयक धोद मुख्यालय सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 6.3.2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सी.पी.बलाई
2. वकील रेस्पोंडेन्ट के ब्रीफ होल्डर वकील श्री विजय सिंह राठौड

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –20.8.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 6.3.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दूजोद, पटवार हल्का दूजोद, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 238/1 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 393 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीधा 17 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 523 रकबा 2.62 हैक्टेयर बारानी 1 एवं 524 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर बने, का खातेदार पेमाराम पुत्र गुल्ला जाति बलाई था । विवादित भूमि के खातेदार पेमाराम के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 160 पटवारी हल्का द्वारा सोहन पुत्र पेमा के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार धोद, मुख्यालय सीकर द्वारा दिनांक 10.8.1970 को मंजूर कर दिया ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार पेमाराम की पुत्री प्रभाती देवी द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2019 से रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) धोद को भी आदेश की प्रति प्रेषित कर आग्रह किया है कि अपीलान्ट की दीर्घायु 82 वर्ष को देखते हुये वाद में निर्णय यथासंभव शीघ्र करने का कष्ट करें ।

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थिया द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार किये जाने एवं अति. जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 6.3.2019 एवं नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 10.8.1970 निरस्त कर नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार पेमाराम था एवं अपीलार्थिया पेमाराम की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है जिसे पेमाराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में तहसीलदार द्वारा छोडते हुये पेमाराम की द्वितीय पत्नी नाथी के पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र सोहन को पेमाराम का जायन्दा पुत्र बताते हुये तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थिया की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों में प्रस्तुत वाद के विचाराधीन होने के आधार पर खारिज की है, जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि यदि पक्षकारों में अधिकारों की घोषणा के संबंध में वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामांतरकरण को निरस्त करते हुये वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखा जावे ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी न बढे । उनका कहना था कि सोहन लाल रेस्पोंडेन्ट पेमाराम की दूसरी पत्नी नाथी के पूर्व पति की संतान है जिसका पेमाराम की सम्पत्ति में कानूनन कोई हक नहीं बनता है , लेकिन राजस्व कर्मचारियों एवं तहसीलदार से सांठ गांठ कर पेमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया , जो विधि विरूद्ध, अवैध व शुन्य है तथा ऐसे प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलार्थिया की अपील अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलधीन आदेश से प्रकरण के विधिक तथ्यों से हट कर केवल वाद के विचाराधीन होने का हवाला देते हुये मनमर्जी पूर्वक खारिज करने विधिक त्रुटि की है एवं अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा अपीलार्थिया के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार पेमा राम की पत्नि नाथी के एक पुत्री प्रभाती अपीलान्ट एवं एक पुत्र सोहन लाल रेस्पोंडेन्ट का जन्म हुआ था । अपीलान्ट प्रभाती एवं रेस्पोंडेन्ट सोहन लाल दोनों आपस में भाई बहिन है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व ही अपीलान्ट प्रभाती देवी का विवाह हो गया था इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अपीलान्ट पर लागू नहीं होता एवं 1956 से पूर्व शादी शुदा पुत्रियों को उनके पिता की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के खातेदार पेमाराम का भी स्वर्गवास हिन्द्रु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व ही हो गया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट प्रभाती देवी ने रेस्पोंडेन्ट के खिलाफ एक दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा , रिकार्ड दुरूस्तीकरण एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण उक्त दावे में ही होना है । उरनका कहना था कि अपीलार्थी की प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 45 वर्ष के निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि केवल इन्तकाल के आधार पर खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की थी कि – अपीलान्ट प्रभाती देवी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सोहन लाल मृतक खातेदार के पुत्र पुत्री होने, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट प्रभाती देवी के अधिकार विवाग्रस्त आराजियात में निहित है या नहीं एवं अपीलान्ट प्रभाती देवी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद के समक्ष दावा बाबत बंटवारा उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्तीकरण एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है , जो न्यायालय में लम्बित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) धोद के न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में नामांतरकरण संख्या 160 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवयकता उचित नहीं होना मानते हुये अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति आवेदन स्वीकार किया गया तथा अपील अपीलान्ट खारिज की गई , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2016–17 आर.आर.टी. (एस. यू. पी.) पेज 219, 2017

आर.आर.डी. (2) पेज 1348, 2018 आर.आर.टी. (2) पेज 879, 2019 आर.आर.टी. (1) पेज 392, 2019 आर.आर.टी. (1) 648 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के खातेदार पेमाराम की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में विवाद है । तहसीलदार धोद ने मृतक पेमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 10.8.70 को रेस्पोंडेन्ट सोहन लाल पुत्र पेमा राम के नाम तस्दीक किया है । अपीलान्ट प्रभाती देवी पुत्री पेमा राम की मुख्य आपत्ति है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सोहन लाल मृतक खातेदार पेमाराम की दूसरी पत्नी नाथी के पूर्व पति की संतान है जिसका पेमाराम की सम्पत्ति में कानूनन कोई हक नहीं बनता । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट प्रभाती देवी की अपील पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2019 पारित कर सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) धोद के न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में नामांतरकरण संख्या 160 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवयकता उचित नहीं होना मानते हुये अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति आवेदन स्वीकार किया गया तथा अपील अपीलान्ट खारिज की गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार धोद ने विवादित भूमि के मृतक खातेदार पेमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 10.8.1970 को पेमाराम की दूसरी पत्नि नाथी के पूर्व पति की संतान रेस्पोंडेन्ट सोहन लाल के नाम तस्दीक किया है और नामांतरकरण में अपीलान्ट प्रभाती देवी जो कि पेमाराम की जायन्दा पुत्री है, को छोड दिया गया जबकि अपीलान्ट पेमाराम की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिस है और अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2019 से सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) धोद के न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में नामांतरकरण संख्या 160 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवयकता उचित नहीं होना मानते हुये अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति आवेदन स्वीकार किया गया तथा अपील अपीलान्ट खारिज की गई । हम समझते हैं कि तहसीलदार धोद ने व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये मृतक खातेदार पेमाराम की जायन्दा पुत्री अपीलान्ट प्रभाती देवी के अधिकारों की अनदेखी की है जबकि अपीलान्ट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पेमाराम की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है । ऐसी स्थिति हम प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 10.8.1970 एवं अपीलाधीन आदेश अंति. कलक्टर

सीकर दिनांक 6.3.2019 को उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मृतक खातेदार पेमाराम की विरासत का नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार धोद, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 6.3.2019 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 10.8.1970 निरस्त किये जाकर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मृतक खातेदार पेमाराम की विरासत का नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार धोद, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर